न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **126/23 (वाद)**

GCMS No. : 2023/373

1. शांतिलाल पिता स्व० मोहनलाल जी जाति मीणा, उम्र वयस्क, निवासी स्वरूपपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

............वादी

बनाम

1. कैलाश पिता स्व० मोहनलाल जी जाति मीणा, उम्र वयस्क, निवासी स्वरूपपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. देवीलाल पिता स्व० मोहनलाल जी जाति मीणा, उम्र वयस्क, निवासी स्वरूपपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. भेरूलाल पिता स्व० कन्हैयालाल जी जाति मीणा, उम्र वयस्क, निवासी स्वरूपपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. सीमा पूत्री स्व० कन्हैयालाल जी पत्नी सुखदेव जी जाति मीणा, उम्र वयस्क, निवासी जामडोली अजमेर रोड, जयपुर (राज०)
5. कृष्णा पुत्री स्व० कन्हैयालाल जी पत्नी अमित कुमार जी जाति मीणा, उम्र वयस्क, निवासी सांई बाब रोड़ सिन्धी बाजार बड़ी स्कूल के पास, मारवाड़ जंक्शन, तहसील मारवाड़, जिला पाली (राज०)
6. उदीबाई पत्नी स्व० कन्हैयालाल जी जाति मीणा, उम्र वयस्क, निवासी स्वरूपपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. मायावती पत्नी स्व० रतनलाल जी जाति मीणा, उम्र वयस्क, निवासी स्वरूपपुरा. हाल वार्ड नम्बर फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. ख्यालीबाई पुत्री स्व० मोहनलाल जी पत्नी नारायण जी जाति मीणा, उम्र वयस्क, निवासी खराटा, तहसील चित्तौड़, जिला चित्तौडगढ़ (राज०)
9. पटवारी, पटवार हल्का लोपड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित—1. श्री घनश्याम पालीवाल, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 22.05.2025

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ... पटवार हल्का लोपड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नं. ...28 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:41:15 IST
Reason: SelfAttested

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुझ वादी के नाम 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 5/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 5/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 5/32 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 के नाम 5/32 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से खातेदार हक से अंकित है।

2. यह कि हम उभय पक्षकारान का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

मोहन पिता नारायण मीणा (मूल पुरूष, फौत)

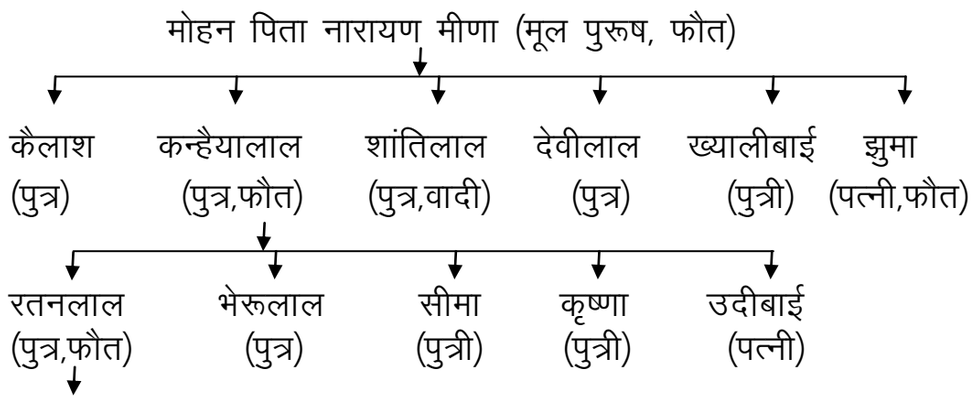

कैलाश (पुत्र) | कन्हैयालाल (पुत्र,फौत) | शांतिलाल (पुत्र,वादी) | देवीलाल (पुत्र) | ख्यालीबाई (पुत्री) | झुमा (पत्नी,फौत)

कन्हैयालाल (पुत्र,फौत) →

रतनलाल (पुत्र,फौत) | भेरूलाल (पुत्र) | सीमा (पुत्री) | कृष्णा (पुत्री) | उदीबाई (पत्नी)

रतनलाल (पुत्र,फौत) →

मायावती (पत्नी)

उक्त सजरे अनुसार मोहन पिता नारायण जी मीणा हमारे मुल पुरूष थे जिनके चार पुत्र कैलाश, कन्हैयालाल, शांतिलाल (वादी), देवीलाल हुए तथा एक पुत्री ख्यालीबाई हुई एवं पत्नी झूमा हैं। पुत्र कन्हैयालाल एवं पत्नी झूमा का निधन हो चुका हैं। कन्हैयालाल के वारिसान पुत्र रतनलाल, भेरूलाल, पुत्रीयां सीमा, कृष्णा व पत्नी उदीबाई हैं। कन्हैयालाल के पुत्र रतनलाल का निधन हो चुका है जिसकी एकमात्र वारिस पत्नी मायावती हैं। सजरे में अंकित जीवित सभी पक्षकार को प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है।

3. यह कि उक्त वर्णित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 एवं 7 के नाम दर्ज कुलिया भूमि सम्वत् 2043 से 2046 के रेवेन्यु रेकार्ड में हमारे मौरूस अर्थात मुझ वादी के पिता श्री मोहन पिता नारायण मीणा के नाम पर दर्ज थी जो मुझ वादी की पैतृक सम्पति है और मुझ वादी के पिता के निधनोपरान्त मुझ वादी एवं अन्य वारिसान कैलाश, कन्हैयालाल, देवीलाल, ख्यालीबाई, झूमा प्रत्येक को 1/6 हिस्सेनुसार प्राप्त हुई तथा मैं वादी अपने पिता से प्राप्त हुई अपने हिस्से की भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा हूँ जिसका ज्ञान प्रतिवादीगण एवं हर आम व खास को हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि मुझ वादी के पिता श्री मोहन पिता नारायण जी मीणा के नाम पर दर्ज थी। लेकिन मुझ वादी के पिता के निधन के पश्चात राजस्व अधिकारीयों ने जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:41:15 IST
Reason: SelfAttested

विरासत का नामान्तरकरण संख्या 59 खोला गया उसमें मोहन पिता नारायण मीणा के सभी वारिसान अर्थात मुझ वादी एवं पुत्री ख्यालीबाई के नाम पर विरासत का नामान्तरकरण नही खोल कर केवल तीन पुत्र कैलाश, कन्हैयालाल, देवीलाल एवं बेवा झूमा को बताकर मोहनजी मीणा के नाम दर्ज सम्पूर्ण भूमि को जरिये नामान्तरकरण मोहनजी के बजाय कैलाश, कन्हैयालाल, देवीलाल पिता मोहन मु. झूमा बेवा मोहन के नाम अंकित कर दी और मुझ वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित नही किया। जबकि राजस्व अधिकारीयों को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नही था। क्योंकि मैं वादी भी मोहनजी का जायन्दा पुत्र हूँ और मुझ वादी का मोहनजी की उक्त वर्णित कृषि भूमि में हक हिस्सा है जिस हिस्से की भूमि पर मैं वादी काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा हूँ और मुझ वादी ने अपने हिस्से कब्जे की भूमि पर अब तक लाखों रूपयो की लागत लगाकर व परिवार सहित श्रम कर जमीन को आवादान कर रखी है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 7 या अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक हिस्सा अधिकार नही है।

4. यह कि मुझ वादी के पिता के नाम दर्ज भूमि कैलाश, कन्हैयालाल, देवीलाल व झूमा के नाम दर्ज होने के पश्चात् मुझ वादी की माता झूमा का निधन हो गया जिससे मुझ वादी की माता झूमा के नाम दर्ज भूमि विरासत के नामान्तरकरण संख्या 124 के जरिए मुझ वादी एवं कैलाश, कन्हैयालाल, देवीलाल, ख्यालीबाई के नाम पर दर्ज हुई जिसके बाद ख्यालीबाई ने माता झूमा से प्राप्त हुए उसके हक हिस्से का हक त्याग पत्र मुझ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 व प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के पिता/पति व प्रतिवादी संख्या 7 के ससुर कन्हैयालाल के पक्ष में कर दिया गया। इसके बाद कन्हैयालाल की मृत्यु होने पर कन्हैयालाल के नाम दर्ज भूमि उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 से 6 क्रमशः भेरूलाल, सीमा, कृष्णा, उदीबाई एवं रतनलाल ने अपने नाम पर विरासत के नामान्तरकरण के जरिये रद्दोबदल करवा दी और प्रतिवादी संख्या 4 से 6 क्रमशः सीमा, कृष्णा, उदीबाई ने विरासत से अपने नाम रेवेन्यु रेकार्ड में अंकित होने के पश्चात् अपने नाम अंकित हूवे हिस्से का हक त्याग पत्र रतनलाल व भेरूलाल के पक्ष कर दिया तथा रतनलाल की मृत्यु होने पर रतनलाल के नाम अंकित भूमि मायावती प्रतिवादी संख्या 7 के नाम दर्ज कर दी गई। मुझ वादी की माता का निधन होने से उक्त वर्णित कृषि भूमि में मुझ वादी का 1/5 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:41:15 IST
Reason: SelfAttested

बना किन्तु पिता के निधनोपरान्त खुलने वाले विरासत के नामान्तरकरण में मुझ वादी का नाम अंकित होने से रह गया है, केवल माता के निधनोपरान्त स्वीकृत हुवे विरासत के नामान्तरकरण के जरिये भूमि प्राप्त हुई हैं जबकि मौके पर मैं वादी आज भी 1/5 हिस्सेनुसार ही काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा हूँ और राजस्व ग्राम गाडरियावास, पटवार हल्का मावली में मेरे पिता के नाम की कृषि भूमि में पुत्र की हैसियत से मुझ वादी का नाम विरासत से अंकित हुआ है। इसलिये मैं वादी वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित पैतृक कृषि भूमि में अपने 1/5 हिस्सा भूमि को अपने खातेदारी हक की घोषित करा अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी हूँ।

5. यह कि मुझ वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 14.08.2023 को उत्पन्न हुआ जब मुझ वादी ने राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तो उक्त भूमि मुझ वादी के नाम पर अंकित नही होने की जानकारी हुई तथा मुझ वादी द्वारा मेरे हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 7 को मेरे नाम पर कराने की बात कही तो इनके द्वारा कोई जवाब नही दिया गया, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।
6. अंत में निवेदन किया कि मुझ वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावें कि उक्त वर्णित आराजी में वादी के नाम अंकित हिस्सा भूमि सहित कुलिया 1/5 हक हिस्सा कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इसी अनुसार वादी का नाम राजस्व रेकर्ड खेवट खतौनी जमाबंदी में अंकन कराया जावें।
7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी संख्या 9, 10 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा। प्रकरण में तनकीयात कायम की आवश्यकता नही रहने से साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी गवाह पीडब्ल्यू 1 वादी स्वयं शांतिलाल पिता मोहनलाल का शपथ पत्र पेश हुआ। वादी स्वयं द्वारा दस्तावेजात मौजा गाडरियावास की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 196 प्रदर्श 2, मौजा स्वरूपपुरा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2038–41 की खाता संख्या 27 प्रदर्श 3. मौजा स्वरूपपुरा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2043–46 की खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.07.14 11:41:15 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 26 प्रदर्श 4, मौजा स्वरूपपुरा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2047–50 की खाता संख्या 24 प्रदर्श 5, मौजा स्वरूपपुरा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 की खाता संख्या 11 प्रदर्श 6, आधार कार्ड की फोटोप्रति प्रदर्श 7ए, रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 16.12.10 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श 8 पेश किये।

8. अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादी के पिता की भूमि में दौराने नामान्तरकरण नाम दर्ज नही किया गया। तत्पश्चात माता के निधन के पश्चात विरासत से वादी का नाम दर्ज किया गया। वादी का अपने पिता की सम्पति में अपने भाईयो के बराबर हक हिस्सा निहित है। वादी अपना वाद साबित कराने में सफल रहा है। अंत में निवेदन किया कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे।

9. हमने अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की प्रदर्श 4 ग्राम स्वरूपपुरा पटवार हल्का लोपड़ा तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2043–46 के खाता संख्या 26 पर दर्ज आराजी नम्बर 28 किता 1 कुल क्षेत्रफल 2 बीघा भूमि खातेदार मोहन पिता नारायण मीणा के नाम दर्ज है। इसी जमाबंदी पर अंकित नोट अनुसार नामान्तरकरण संख्या 59 से मोहन के बजाय कैलाश, कन्हैयालाल, देवीलाल पिता मोहन, जुमा बेवा मोहन के नाम दर्ज हुआ। प्रदर्श 6 ग्राम स्वरूपपुरा पटवार हल्का लोपड़ा तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2067–70 के खाता संख्या 11 पर दर्ज आराजी नम्बर 28 किता 1 कुल क्षेत्रफल 2 बीघा भूमि मोहन के बजाय कैलाश, कन्हैयालाल, देवीलाल पिता मोहन, जुमा बेवा मोहन के नाम पर दर्ज है। परन्तु इस पर अंकित नोट अनुसार नामान्तरण संख्या 124 से विरासत से जुमा बेवा मोहन 1/4 मीणा के बजाय कैलाश, कन्हैयालाल, शान्तीलाल, देवीलाल, ख्यालीबाई पिता मोहन 1/4 हि.ब. मीणा के नाम दर्ज की स्वीकृति। नामान्तरकरण संख्या 139 से कैलाश, कन्हैयालाल, देवीलाल पिता मोहन 15/16 हि.ब., शांतिलाल पिता मोहन 1/16 मीणा सा. देह के नाम दर्ज किया गया।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि उक्त प्रदर्श–4 व 6 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मूल खातेदार [illegible] निधन के पश्चात खातेदार मोहन के बजाय उसके तीन पुत्र कैलाश, कन्हैयालाल, देवीलाल पिता मोहन एवं पत्नी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
[illegible]
Date: 2025.07.14 11:41:15 IST
Reason: SelfAttested

जुमा बेवा मोहन के नाम वादग्रस्त भूमि दर्ज की गई। जुमा बेवा मोहन के निधन के पश्चात उसके चार पुत्र कैलाश, कन्हैयालाल, शान्तीलाल, देवीलाल पिता मोहन एवं एक पुत्री ख्यालीबाई पुत्री मोहन के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 124 से स्पष्ट है कि वादी मोहन का ही पुत्र है। प्रदर्श – 8 हक त्याग पत्र के सजरे अनुसार भी वादी मोहन का ही पुत्र है। जिस पर सभी भाईयो के हस्ताक्षर है। वादी मोहन का पुत्र होने से वादग्रस्त भूमि में मोहन का हिस्सा भी अपने भाईयो के बराबर होना चाहिए। राजस्व कर्मचारियो द्वारा मोहन की विरासत में वादी का नाम दर्ज नही कर भारी भूमि की गई है। मोहन की पुत्री ख्यालीबाई द्वारा अपना हक हिस्सा अपने भाईयो के पक्ष में हक त्याग कर देने से वादग्रस्त भूमि में मोहन के चारो पुत्रो का बराबर हक हिस्सा निहित हुआ। तत्पश्चात कन्हैयालाल का निधन हो जाने से उसके वारिसन के नाम दर्ज हो गई। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि ग्राम स्वरूपपुरा पटवार हल्का लोपड़ा तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 8 पर दर्ज आराजी नम्बर 28 किता 1 कुल क्षेत्रफल 0.3237 हैक्टेयर भूमि वादी, प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 7 के नाम दर्ज है के बजाय वादी को 1/4 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/4 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/8 हिस्से से तथा प्रतिवादी संख्या 7 को 1/8 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:41:15 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

<u>उनवान्</u>

1. शांतिलाल पिता स्व० मोहनलाल जी जाति मीणा, उम्र वयस्क, निवासी स्वरूपपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

............वादी

बनाम

1. कैलाश पिता स्व० मोहनलाल जी जाति मीणा, उम्र वयस्क, निवासी स्वरूपपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. देवीलाल पिता स्व० मोहनलाल जी जाति मीणा, उम्र वयस्क, निवासी स्वरूपपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. भेरूलाल पिता स्व० कन्हैयालाल जी जाति मीणा, उम्र वयस्क, निवासी स्वरूपपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. सीमा पूत्री स्व० कन्हैयालाल जी पत्नी सुखदेव जी जाति मीणा, उम्र वयस्क, निवासी जामडोली अजमेर रोड, जयपुर (राज०)
5. कृष्णा पुत्री स्व० कन्हैयालाल जी पत्नी अमित कुमार जी जाति मीणा, उम्र वयस्क, निवासी सांई बाब रोड़ सिन्धी बाजार बड़ी स्कूल के पास, मारवाड़ जंक्शन, तहसील मारवाड़, जिला पाली (राज०)
6. उदीबाई पत्नी स्व० कन्हैयालाल जी जाति मीणा, उम्र वयस्क, निवासी स्वरूपपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. मायावती पत्नी स्व० रतनलाल जी जाति मीणा, उम्र वयस्क, निवासी स्वरूपपुरा. हाल वार्ड नम्बर फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. ख्यालीबाई पुत्री स्व० मोहनलाल जी पत्नी नारायण जी जाति मीणा, उम्र वयस्क, निवासी खराटा, तहसील चित्तौड़, जिला चित्तौडगढ़ (राज०)
9. पटवारी, पटवार हल्का लोपड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>
<u>मुकदमा न0 : 126/23 (वाद) GCMS No. – 2023/373</u>

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि ग्राम स्वरूपपुरा पटवार हल्का लोपड़ा तहसील मावली की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:41:15 IST
Reason: SelfAttested

नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 8 पर दर्ज आराजी नम्बर 28 किता 1 कुल क्षेत्रफल 0.3237 हैक्टेयर भूमि वादी, प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 7 के नाम दर्ज है के बजाय वादी को 1/4 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/4 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/8 हिस्से से तथा प्रतिवादी संख्या 7 को 1/8 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 22.05.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:41:15 IST
Reason: SelfAttested